2020/00085 राजस्थान सरकार 7-11 स्वीकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
88-188 दावा	46/20	21/2/2020 ~~स्थगित~~ 16/4/25		14/8/24 9/9/24 25/9/ 22/10/ 13/11/2 19/12/ 16/1/2 19/2/2 11/3/ 19/3/25 2/4/25 7/4/25 (16/4/25

अनवान

श्री भंवरी बाई पुत्री नन्दलाल धाकड़ — श्री भूंकरलाल S/o कन्हैयालाल धाकड़

निवासी गोविन्द निवास — निवासी गोविन्द निवास

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री परवेज आलम — श्री OPS

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–46 / 2020 तारीख दायर :– 21.02.2020

अनवान

01. भंवरीबाई पुत्री नन्दलाल जाति धाकड़ पत्नि मोहनलाल उम्र बालिग व्यवयाय खेती निवासी गोविन्द निवास हाल छोटा नयागांव तहसील बिजौलियां वगैराहः–06

––वादीगण

बनाम

01. शंकरलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी गोविन्द निवास तहसील बिजौलियां वगैराहः–09

––प्रतिवादीगण

–:उपस्थित :–

❖ श्री परवेज आलम ..... अधिवक्ता वादीगण

❖ श्री ओमप्रकाश शर्मा .....अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – :प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.:–

–: निर्णय :–

दिनांक : 16 / 04 / 2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीग 01 की ओर से को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। विचाराधीन वाद पत्र धारा 11 जादी के तहत रेसजूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। इसी प्रकार आदेश 23 नियम 01 के तहत राजीनामा के उपरांत खारिज कराये गये वादपत्र पेश करना भी चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिजी के है। आदेश 02 नियम 02 जादी भी कानूनी रूप से वादीगण को वादपत्र पेश करने से बाधित करता है। वादीगण को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। अतः विचाराधीन वाद कानूनी प्रावधानों के द्वारा बाधित(बार्ड बाई लॉ) होकर खारिज योग्य है।

प्रतिवादी 01 के 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान विचाराधीन वाद धारा 11 सि.प्र.स. के तहत बाधित नहीं है उक्त बिन्दु पर जवाब की कलम संख्या 04 में विस्त्त रूप से स्पष्टीकरण पेश कर दिया गया है। इसी प्रकार आदेश 23 नियम 1(3) सि.प्र.स. इस प्रकरण में लागू नहीं होता क्योंकि प्रतिवादी द्वारा पेश तथाकथित राजीनामा उसका स्वरचित झूठा दस्तावेज है उक्त बिन्दु का स्पष्टीकरण जवाब की कलम संख्या 03 में विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर दिया है। उक्त विचाराधीन वाद में वादी संख्या 03 लगायत 06 पूर्व के वाद में पक्षकार नहीं थे ना ही उनकी

लगातार पेज संख्या 02

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

दा देवी पक्षकार थी उन्हें अन्धेरे में रख उनको जानकारी दिए बिना पूर्व में वाद पेश
या था। पूर्व के वाद मे किसी प्रकार से अन्तिम विनिश्चय किये बिना बिना गुणावगुण के
। निस्तारित कर दिया गया था जिसमें किसी प्रकार की डिक्री किसी पक्षकार के पक्ष में
हीं की गई थी। यदि उक्त विचाराधिन वाद इस स्तर पर आदेश 07 नियम 11 के तहत
कर दिया गया तो वादीगण न्याय पाने से वंचित हो जायेंगे। जब उक्त वादपत्र का
ण के आधार पर अवलोकन होकर निर्णित होगा तो वादीगण अवश्य की विजित होंगे।
से निवेदन है कि प्रतिवादी 01 का 07 नियम 11 सव्यय खारिज किया जावें।

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 07 नियम 11
ए लिखित बहस पेश कि जो शामिल पत्रावली है।

–:आदेशः–

वादी–प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 पर
ात बहस का अध्ययन/मनन किया गया साथ की पत्रावली में संलग्न दस्वावेजों एवं साक्ष्यों
ध्ययन किया गया वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के समक्ष
एवं प्रतिवादी के बीच राजीनामा हो चुका है जिसकी नकल संलग्न पत्रावली है। वाद पत्र
88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा
ुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद पत्र धारा अन्तर्गत
–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार/खारिज किया जाता है। आदेश आज
नांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में उभय पक्षकारान के उपस्थिती में सुनाए गए।

दिनांकः–16/04/2025

न्यायालय मोहर

अजीत सिंह राठौड़ (RAS)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला–भीलवाड़ा